आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	शस्त्रवाद सं.94/2014	
9/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **विरेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता–श्री रामलक्षण सिंह, ग्राम+पो0–पचलख, थाना–परसा, जिला–सारण** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 2796/गो0 18.8.12 के द्वारा आवेदक विरेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता–श्री रामलक्षण सिंह, गाम+पो0–पचलख, थाना–परसा, जिला–सारण का एक एन.पी.बोर रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जाँच के उपरान्त आरम्भ किया गया है। दिनांक 5.8.14 को आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गई थी एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जॉच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया था। आवेदक के द्वारा बताया गया था कि वे चिमनी पर कोयला सप्लाई करते हैं तथा उन्हें माओवादियों के द्वारा लेवी के लिए पत्र भी प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में भय की वजह से इनके द्वारा थाना में शिकायत नहीं की गयी थी। इसलिए अपने जानमाल पर खतरे की आशंका को देखते हुए एक एन.पी.बोर रिवॉल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जॉचोपरान्त थानाध्यक्ष, परसा के ज्ञापांक 832 दिनांक 10.10.09 एवं ज्ञापांक 372 दिनांक 8.7.12 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 2796/गो0 दिनांक 18.8.12 के द्वारा प्रेषित किया गया। पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन अंकित नहीं है। अतः इस न्यायालय के पत्रांक 897 दिनांक 26.8.14 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, सारण से खतरे की आशंका के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन की मॉग की गयी, जिसके आलोक में पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक 4612/गो0 दिनांक 4.11.14 के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर के ज्ञापांक 2049 दिनांक 25.9.14 एवं थानाध्यक्ष, परसा के	

प्रतिवेदन (डी.आर. 578 दिनांक 14.9.14) को संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

उक्त प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् आवेदक की उपस्थिति में आज दिनांक 9.12.14 को पुनः सुनवाई की गयी एवं पुलिस प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। थानाध्यक्ष, परसा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक विरेन्द्र प्रसाद सिंह के संबंध में गहराई से जॉच पड़ताल करने के पश्चात् यह बात प्रकाश में आयी कि इन्हें माओवादियों के द्वारा लेवी के लिए पत्र दिया गया था। इनका गॉव पचलख माओवादी प्रभावित है। ये पेशे से कोयला के व्यापारी भी हैं। इनको व्यापार के कम में इधर–उधर जाना पड़ता है। इन्हें जानमाल का खतरा हमेशा बना रहता है। इन्हें रिवॉल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन एवं आवेदक को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा अपने प्रतिवेदन में आवेदक के उपर व्याप्त खतरे के मद्देनजर उन्हें शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की गयी है। आवेदक के उपर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार थानाध्यक्ष, परसा एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक विरेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता–श्री रामलक्षण सिंह, गाम+पो0–पचलख, थाना–परसा, जिला–सारण को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक एन.पी.बोर रिवॉल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 26 /व्या० दिनांक 13/01/2015

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सारण/जिला शस्त्र दंडाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के website पर upload करने हेतु प्रेषित।

13/1/15
वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।